

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2010—भाद्र 18, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1-7-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (एक) शीर्षक "एक—सामान्य प्रशासन विभाग" के अधीन भाग (उ) शीर्षक "ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय" में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए;
- (दो) शीर्षक "नौ—खेल और युवा कल्याण विभाग" के अधीन भाग (उ) शीर्षक "ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा मंडल" में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए; अर्थात्:—

"4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र.-एफ-1-07-2010-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-07-2010-एक (1), दिनांक 9 सितम्बर 2010 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 9th September 2010

No. F-1-7-2010-One (1).—In exercise of the power conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the constitution of india, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

- (i) under the heading "I-General Administration Department", in part (E) of the heading "Other Institution and Bodies not covered under (D) above", serial number 1 and entry relating thereto shall be omitted;
- (ii) under the heading "IX-Sports and Youth Welfare Department", in part (E) of the heading "Other Institutions and Bodies not covered under (D) above", after Serial number 3 and entry relation thereto, the following new serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—
"4. Madhya Pradesh Civil Services Sports Control Board."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R.VISHWAKARMA, Dy. Secy.